This is a digitally signed Gazette, to verify click here.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार 29 दिसम्बर, 2012/8 पौष, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA171001

NOTIFICATION

Shimla, the 24th December, 2012

No. HHC/Admn. 3 (328)/92.—06 days' earned leave on and w.e.f. 24.12.2012 to 29.12.2012 with permission to affix Sundays falling on 23.12.2012 & 30.12.2012 is hereby sanctioned in favour of Shri Suresh Dhameja, Court master of this Registry.

Certified that Shri Suresh Dhameja is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Suresh Dhameja would have continued to officiate the same post of Court master but for his proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 21st December, 2012

No. HHC/Admn. 3 (125)/79-I.—06 days earned leave on and w.e.f. 15.10.2012 to 20.10.2012 (extended period), with permission to affix Sundays and Dussehra holidays on 14.10.2012 and 21.10.2012 to 28.10.2012, is hereby sanctioned/regularized, ex-post-facto, in favour of Smt. Raj Thakur, Assistant Registrar of this Registry.

Certified that Smt. Raj Thakur has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Raj Thakur would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar, but for her proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADEESH AT SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 22nd December, 2012

No. HHC/GAZ/14-300/2008.— Hon'ble the Chief Justice has been pleased to order the cancellation of two days' un-availed earned leave for 19.11.2012 and 20.11.2012, already sanctioned vide this Registry Notification of even number dated 30.10.2012, in favour of Shri Mohit Bansal, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Chachiot at Gohar, District Mandi, H.P.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADEESH AT SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla the 22nd December, 2012

No. HHC/GAZ/14-312/2010.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 9 days' earned leave w.e.f. 29.11.2012 to 7.12.2012 with permission to prefix Gazetted holiday fell on 28.11.2012 and to suffix Second Saturday and Sunday fell on 8.12.2012 and 9.12.2012 in favour of Shri Amardeep Singh, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Chamba, H.P.

Certified that Shri Amardeep Singh has joined the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Amardeep Singh would have continued to hold the same post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Chamba, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 18th December, 2012

No. HHC/Admn. 16 (24)75-III.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Makhan and Sh. Vishav Deep Sharma, Advocates, with immediate effect and Sh.Arun Kumar, Advocate, w.e.f 28.12.2012 as Oath Commissioners at Una, H.P. for a period of two years for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 26th December, 2012

No. HHC/Admn. 6 (23)/74-XIV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter I of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Civil Judge (Senior Division)-cum-CJM, Nahan as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge(Junior Division)-cum-JMIC, Nahan and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court under head "2014 Administration of Justice" during the earned leave period of Ms. Neha Kaisth, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC,Nahan with immediate effect till she returns from leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 26 दिसम्बर, 2012

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0)एफ(5) 81/2011.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव धार, तहसील जुब्बल, जिला शिमला में ठियोग–कोटखाई–हाटकोटी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन भू–अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू–अर्जन समाहर्ता, लो निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गावं	खसरा न0	क्षेत्र (है0) में
शिमला	जुब्बल	धार	955	0–04–72
			961/1	0–02–74
			30	0–04–23
			28	0–00–42
			967/1	0–03–84
		कुल जोड किता :	**5**	**0–15–95**

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/–
सचिव (लोक निर्माण)।

————————

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला. 2, दिसम्बर, 2012

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0)एफ(5) 83/2011.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव सलयाणा दोयम, तहसील कोटखाई, जिला शिमला में ठियोग–कोटखाई–हाटकोटी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन भू–अर्जन समाहर्ता

लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गावं	खसरा न0	क्षेत्र (है0) में
शिमला	कोटखाई	सलयाणा दोयम	308	0—00—95
			309	0—01—69
			310 / 1	0—06—70
			303 / 1	0—00—74
			301 / 2 / 1	0—00—77
			कुल जोड किता : 5	**0—10—85**

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
सचिव (लोक निर्माण)।

———————

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 26 दिसम्बर, 2012

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0)एफ(5) 86 / 2011.——यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव अणू, तहसील कोटखाई, जिला शिमला में ठियोग–कोटखाई–हाटकोटी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन भू–अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

	जिला	तहसील	गांव खसरा नं0	क्षेत्र (है0) में
शिमला	कोटखाई	अणू	148 / 2 / 1	0—03—74
			153 / 1	0—01—13
			कुल जोड किता : 2	**0—04—87**

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
सचिव (लोक निर्माण)।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, दिसम्बर, 2012

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0)एफ(5) 87 / 2011.——यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव पान्दली, तहसील कोटखाई, जिला शिमला में ठियोग–कोटखाई–हाटकोटी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन भू–अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न0	क्षेत्र (है0) में
शिमला	कोटखाई	पान्दली	800 / 1	0–03–46
			807 / 1	0–00–11
		कुल जोड किता :	**2**	**0–03–57**

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
सचिव (लोक निर्माण)।

———————

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 10 दिसम्बर, 2012

संख्या मुद्रण (बी) 10–25 / 2010.–हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, में उप नियन्त्रक (मुद्रण एवं लेखन), वर्ग–I, (राजपत्रित), (अलिपिक वर्गीय सेवाएं) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध 'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एंव लेखन सामग्री विभाग उप नियन्त्रक (मुद्रण एवं लेखन), वर्ग–I, (राजपत्रित), (अलिपिक वर्गीय सेवाएं), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **निरसन और व्यावृत्तियां.**—(1) अधिसूचना संख्या : मुद्रण (बी) 2—8/93, तारीख 15 दिसम्बर, 1998 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेशे मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग उप नियन्त्रक (मुद्रण एवं लेखन), वर्ग—II, (राजपत्रित), भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1998 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2(I) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई, इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
सचिव (मुद्रण एवं लेखन)।

उपाबन्ध—"क"

हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में उप नियन्त्रक (मुद्रण एवं लेखन), वर्ग—I, (राजपत्रित), (अलिपिक वर्गीय सेवाएं) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1. **पद का नाम** : उप नियन्त्रक (मुद्रण एवं लेखन)

2. **पदों की संख्या** : 1 (एक)

3. **वर्गीकरण** : वर्ग—I (राजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय सेवाएं)

4. **वेतनमान** : **(i) नियमित पद्धारियों के लिए वेतनमान** : पे बैंड 10300—34800 रुपए जमा 5400/— रुपए ग्रेड पे।

   (ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियाँ : 15700/— रुपए प्रतिमास (स्तम्भ संख्या 15—क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार)

5. **"चयन'' पद अथवा 'अचयन' पद** : चयन ।

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु** : 45 वर्ष और उससे कम :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण, विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों/

स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों, तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्‌वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं : (क) अनिवार्य अर्हताएं.—(i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/संस्थान से दस जमा दो या इसके समकक्ष।

(ii) केन्द्रीय/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से प्रिंटिग एवं सहबद्ध ट्रेड में बी0ई0/बी0टैक की डिग्री।

(iii) किसी सरकारी मुद्रणालय/आई0एस0ओ0 प्रमाणित किसी निजी मुद्रणालय में पर्यवेक्षक के रूप में दो वर्ष के अनुभव सहित पांच वर्ष का अनुभव।

(ख) वांछनीय अर्हता(एं).—हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(यों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं, प्रोन्नत व्यक्ति(यों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.—आयु : लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हता : हां । जैसी नीचे दी गई स्तम्भ संख्या 11 में विहित है।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो : दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा ,जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे ।

10. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानातरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद(पदों) की प्रतिशतता : शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर, यथास्थिति सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। दोनों के न होने पर सैकैण्डमैंट के आधार पर । संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ 15—क में दी गई उपलब्धियाँ प्राप्त करेगा और तथाकथित स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होगा ।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानातरण की दशा में श्रेणिया (ग्रेड, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानातरण किया जाएगा : सहायक नियन्त्रक (मुद्रण)/सहायक नियन्त्रक (प्रिंटिंग ऑफसैट) में से प्रोन्नति द्वारा, जो स्तम्भ संख्या 7 (क)(i) में निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखता हो और जिसका ग्रेड में तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का सयुंक्त नियमित सेवाकाल हो । ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, दोनों के न होने पर हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार/अन्य राज्य/केन्द्रीय सरकार के मुद्रणालय में इस पद पर समरूप वेतनमान में कार्यरत अभ्यर्थियों में से सैकैण्डमैट आधार पर :

प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र अधिकारियों की सेवाकाल के आधार पर उनकी काडर—वार वरिष्ठता को छेड़े बिना, एक संयुक्त वरिष्ठता—सूची तैयार की जाएगी ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु यह कि उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो), के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने अपने प्रवर्ग/पद/संवर्ग में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यून्तम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण :—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान—टैकनीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम—3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स—सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैकनीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम—3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो ओर इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप, पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति जैसी विद्यमान हो तो उसकी सरंचना : सरकार द्वारा समय—समय पर गठित की जाए ।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाः जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा : किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन : सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

15—क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन : इन नियमों मे किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगी :—

(I) संकल्पना : (क) इस पॉलिसी के अधीन मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में उप नियन्त्रक (मुद्रण एवं लेखन) को संविदा के आधार, पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत / विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना : सचिव, (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) हिमाचल प्रदेश सरकार, रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां : संविदा के आधार पर नियुक्त उप नियन्त्रक (मुद्रण एवं लेखन) को 15700 / — रुपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 480 / — रुपए की रकम (पद के पे बैड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(III) (नियुक्ति / अनुशासन प्राधिकारी) : सचिव, (मुद्रण एवं लेखन सामग्री), हिमाचल प्रदेश सरकार, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया : संविदा नियुक्ति की दशा में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर / पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(V) संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों के लिए चयन समिति : जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला द्वारा समय—समय पर गठित की जाए ।

(VI) करार : अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध "ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) निबन्धन और शर्तें : (क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 15700 / — रुपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक रकम में 480 / — रुपए (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ / चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी ।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश और दस

दिन के चिकित्सा अवकाश का भी हकदार होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाये किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अव्यतीत आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश को उसी कलैण्डर वर्ष तक स॑चित किया जा सकेगा और उसे अगले कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । सविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

(ड) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानातरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू हैं, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में, यथालागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ0 आर0,एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नही होंगे वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे ।

16. आरक्षण : सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशों के, अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा : सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय–समय पर यथासंशोधित हि0प्र0 विभागीय परीक्षा नियम 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी ।

18. शिथिल करने की शक्ति : जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति(यों) के प्रवर्ग या पद (पदों)की बावत, शिथिल कर सकेगी ।

———————

उपाबन्ध 'ख'

उप नियन्त्रक (मुद्रण एवं लेखन) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, सचिव मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमति.. पुत्र/पुत्री श्री.. निवासी.., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य सचिव मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख................. .... को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने उप नियन्त्रक (मुद्रण एवं लेखन) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

1. यह कि प्रथम पक्षकार उप नियन्त्रक (मुद्रण एवं लेखन) के रूप में........... से प्रारम्भ होने और........... को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् को अर्थात्..................... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

   परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर नवीकरण / विस्तारण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि को नवीकृत / विस्तारित किया जाएगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 15700 / — रुपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त / तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश और दस दिन के चिकित्सा अवकाश का भी हकदार होगा / होगी । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा / होगी । संविदा पर नियुक्त उप नियन्त्रक (मुद्रण एवं लेखन) को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नही होगा :

   परन्तु अव्यतीत आकस्मिक अवकाश चिकित्सा को उसी कलैण्डर वर्ष तक ही संचित किया जा सकेगा और उसे अगले कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त उपनियन्त्रक कर्तव्य (ड्यूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानातरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए ।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ—साथ ई0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षियों की उपस्थिति में: –

1...
....
....
नाम व पूरा पता
2...
....
....
नाम व पूरा पता (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

सक्षियों की उपस्थिति में: –

1...
....
....
नाम व पूरा पता
2...
....
....
नाम व पूरा पता (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English Text of this Department Notification No : Mudran(B) 10-25/2010– dated 10-12-2012 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 10th December, 2012

No. Mudran (B)10-25/ 2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor ,Himachal Pradesh , in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission , is pleased to make the following Recruitment & Promotion Rules for the post of Deputy Controller (Printing and Stationery) , Class-I (Gazetted),(Non-Ministerial Services), in the Department of Printing and Stationery , Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Deputy Controller (Printing and Stationery) , Class-I (Gazetted), (Non-Ministerial Services), Recruitment and Promotion Rules,2012.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal and Savings.—(1) The Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Deputy Controller (Printing and Stationery) Class-II(Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 1998 notified vide Notification No: Mudran (B)2 - 8/93 dated 15-12-1998 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made, or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule-2(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these Rules.

By order,
Sd/-
Secretary (P&S).

ANNEXURE-A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DEPUTY CONTROLLER (PRINTING AND STATIONERY), CLASS-I (GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF PRINTING AND STATIONERY HIMACHAL PRADESH

1. Name of the Post.—Deputy Controller

2. Number of Post(s).—01 (One)

3. **Classification.**—Class-I (Gazetted) (Non–Ministerial- Services)

4. Scale of Pay.—(i) *Pay Scale for regular incumbents.*—₹ 10300-34800/- + ₹ 5400/- Grade Pay.

(ii) *Emoluments for contract employees.*— ₹ 15700/- P.M. (As per details given in Col. No. 15-A).

5. Whether Selection post or Non-Selection post.—Selection

6. Age for direct recruitment.—45 years and below

Provided that that upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis.;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date when he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment.;

Provided further that upper age-limit is relax able for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government.

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporation /Autonomous Bodies at the time of initial of such constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government Servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector

Corporations/Autonomous Bodies , who are/were subsequently appointed by such Corporations/ Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment ,relax able at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruitment.— *Essential Qualification(s).*—(i) 10+2 or its equivalent from a recognized Board/Institution.

(ii) B.E/B.Tech. Degree in the Printing and Allied trade(s) from a university or an Institution duly recognized by the Central /H.P. Government.

(iii) Five years experience in a Government Printing Press/an ISO Certified Private Printing Press including two year's experience in Supervisory capacity.

Desirable Qualification(s).—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee (s).—*Age.*—Not applicable.

Educational Qualification.—yes, as prescribed in Column No.11 below.

9. Period of probation, if any.—Two years, subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s)to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, failing both on secondment basis. The contract employee will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by the service conditions as prescribed in the said Column.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer grade from which promotion, deputation, transfer is to be made.—By promotion from amongst the Assistant Controller (Printing), Assistant Controller (Printing Offset), who possess educational qualification as prescribed against Col.No.7 (a)(i) with three years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered ,if any, in the grade failing which by direct recruitment and failing both on secondment basis from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scale from HP State Government/Other State Government/Central Government Printing Press.

Provided that for the purpose of promotion combined seniority lists of eligible officers on the basis of length of service without disturbing their cadre-wise inter –se-seniority, shall be prepared.

(1) In all cases of promotion ,the continuous adhoc service rendered in the feeder post ,if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc

appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R& P Rules :

that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to the above ,all person senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration :

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post which ever is less,

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him /her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-service men recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc services rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/ promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the R&P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test of the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency, as the case may be, considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission/other recruiting authority, as the case may be.

15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.—Not withstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Deputy Controller in the Department of Printing & Stationery will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable, on year to year basis.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC.—The Secretary (Printing & Stationery), to the Government of Himachal Pradesh, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. HP Public Service Commission Shimla.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Deputy Controller (Printing and Stationery) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ₹ 15700/- per month (which shall be equal to the minimum of the pay band plus Grade pay.) An amount of ₹ 480/- (3% of the minimum of pay band +grade pay) as annual increase in contractual emoluments for subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Secretary (Printing and Stationery) to the Government of Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in case of contract appointment will be made on the basis of Viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. the HP Public Service Commission Shimla.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTEE.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P.Public Service Commission from time to time.

(VI) (AGREEMEMT).—After selection of a candidate, he /She shall sign an agreement as per annexure -B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The Contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ₹ 15700/- per month (which shall be equal to minimum of pay band + Grade Pay). The Contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ₹ 480/- (3% of minimum of the Pay band + Grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefit such as senior /selection scales etc. will be given .

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 12 weeks Maternity Leave and 10 days Medical Leave. He/She shall not be entitiled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed Casual Leave and medical Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling officer shall automatically, leadto the termination of the Contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a Certificate of his/her fitness from a Government /Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will be temporarily unfit till the Confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness by an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part officials at the minimum of pay scale.

(h) Provision of service rules like FR,SR ,leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees , will not be applicable in case of contract appointees.

They will be entitled for emoluments etc .as detailed in this Column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes /Other categories of persons issued by Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the H.P.Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time.

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

ANNEXURE "B"

Form of contract/agreement to be executed between the Deputy Controller (Printing and Stationery) & the Government of Himachal Pradesh through-Secretary Printing and Stationery H. P.

This agreement is made on this ……………….. day of………….. In the year ……..……….. Between Sh./Smt…………………………. S/o/D/o Shri…………………R/o ………………………………………………………………….,

Contract appointee (herein after called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through–Secretary, Printing and Stationery Department, Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY, and the FIRST PARTY has agreed to serve as Deputy Controller (Printing and Stationery) on contract basis on the following terms and conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Deputy Controller(Printing and Stationery) for a period of one year commencing on day of…………………………..and ending on the day of ………………… It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on....................... and information notice shall not be necessary.

   Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

2. The Contractual amount of the FIRST PARTY will be ₹ 15700/-per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good, or if regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 12 weeks Maternity Leave and 10 days Medical Leave .He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contractual Deputy Controller (Printing and Stationery).

   Provided that the un-availed Casual Leave and Medical Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Deputy Controller (Printing and Stationery) will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporary unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part official.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1……………………………………..
………………………………………
………………………………………
(Name and full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2……………………………………..
………………………………………
………………………………………
(Name and full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1……………………………………..
………………………………………
………………………………………
(Name and full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2……………………………………..
………………………………………
………………………………………
(Name and full Address)

CHANGE OF NAME

I, Kanika Verma w/o Shri Sanjeev Kumar Verma, r/o Bhagwati Niwas near Thodo Ground, Rajgarh Road, Solan, Himachal Pradesh, have changed my name to Anjana Verma. All concerned please note.

ANJANA VERMA,
w/o Shri Sanjeev Kumar Verma,
r/o Bhagwati Niwas near Thodo Ground,
Rajgarh Road, Solan, Himachal Pradesh.

न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री जसविन्द्र सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह, जात सैणी, निवासी वार्ड नं0 3, सन्तोखगढ़, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री जसविन्द्र सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह, जात सैणी, निवासी वार्ड नं0 3, सन्तोखगढ़, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी शादी दिनांक 27–3–2011 को श्रीमती अवतार कौर पुत्री श्री रणजीत सिंह, जात सैणी, गांव बुर्जबेला, डाकघर झिजड़ी श्री आनन्दपुर साहिब, जिला रूपनगर (पंजाब) के साथ हुई है।

अतः आम जनता को इस सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि श्री जसविन्द्र सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह, जात सैणी, निवासी वार्ड नं0 3, सन्तोखगढ़, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) व श्रीमती अवतार कौर पुत्री श्री रणजीत सिंह, जात सैणी, गांव बुर्जबेला, डाकघर झिजड़ी श्री आनन्दपुर साहिब, जिला रूपनगर (पंजाब) की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत सन्तोखगढ़, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 7–2–2013 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसके बाद इस उक्त शादी के पंजीकरण हेतु अगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 17–12–2012 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

सुरेश कुमार शर्मा,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

——————

न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री राम किशन, जात राजपूत, निवासी गांव फतेहपुर, डाकघर नंगड़ा, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री राम किशन, जात राजपूत, निवासी गांव फतेहपुर, डाकघर नंगड़ा, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी शादी दिनांक 26–8–2001 को श्रीमती प्रतीभा रानी पुत्री श्री नरदेव सिंह, जात राजपूत, गांव निक्कू नंगल, तहसील श्री आनन्दपुर साहिब, जिला रूपनगर (पंजाब) के साथ हुई है।

अतः आम जनता को इस सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री राम किशन, जात राजपूत, निवासी गांव फतेहपुर, डाकघर नंगड़ा, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) व श्रीमती प्रतीभा रानी पुत्री श्री नरदेव सिंह, जात राजपूत, गांव निक्कू नंगल, तहसील श्री आनन्दपुर साहिब, जिला रूपनगर (पंजाब) की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत फतेहपुर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 18–2–2013 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसके बाद इस उक्त शादी के पंजीकरण हेतु अगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 15–12–2012 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

सुरेश कुमार शर्मा,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

——————

न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री जविन्दर सिंह पुत्र श्री चूहड़ सिंह, जात राजपूत, निवासी गांव व डा0 पंजावर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त किए जाने राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती बारे।

उपरोक्त विषय में श्री जविन्दर सिंह पुत्र श्री चूहड़ सिंह, जात राजपूत, निवासी गांव व डा0 पंजावर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ आवेदन प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख में सहवन गलती से उसका नाम श्री जविन्दर सिंह पुत्र श्री चूहड़ सिंह की बजाए जोगिन्दर सिंह पुत्र श्री चूहड़ सिंह दर्ज है, जोकि गलत है। आवेदक चाहता है कि उसका नाम जोगिन्दर सिंह की बजाए जविन्दर सिंह राजस्व अभिलेख में दरुस्त किया जाए।

इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख में किए जाने से किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 22—1—2013 को असालतन या वकालतन कर सकता है, इस तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा। तथा इसकी दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने बारे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 12—12—2012 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

सुरेश कुमार शर्मा,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

———

न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

कु0 सुमन लता पुत्री श्री वतन चन्द, जात तरखान, निवासी गांव व डा0 रामपुर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त किए जाने राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती बारे।

उपरोक्त विषय में कु0 सुमन लता पुत्री श्री वतन चन्द, जात तरखान, निवासी गांव व डा0 रामपुर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ आवेदन प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख में सहवन गलती से उसके बावा श्री चूहड़ू पुत्र श्री बधावा की बजाए तुलसी पुत्र श्री बधावा नाम से दर्ज है, जोकि गलत है। आवेदिका चाहती है कि उसके बावा का नाम श्री तुलसी पुत्र श्री बधावा की बजाए श्री चूहड़ू पुत्र श्री बधावा राजस्व अभिलेख में दरुस्त किया जाए।

इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख में किए जाने से किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 18—2—2013 को असालतन या वकालतन कर सकता है, इस तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा। तथा इसकी दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने बारे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 14—12—2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

सुरेश कुमार शर्मा,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

कार्यालय उपायुक्त, जिला किन्नौर स्थित रिकांग पिओ, हि0प्र0।

संख्या कनर उप चुनाव / 2012 दिनांक दिसम्बर,2012

अधिसूचना

हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 126 एवं हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के उप नियम 124 के अर्न्तगत प्रद्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, राजीव शंकर, उपायुक्त किन्नौर नीचे दी गई सारणी अनुसार दिसम्बर, 2012 के उप निर्वाचन में निर्वाचित व्यक्तियों के नाम जन साधारण की जानकारी हेतु निम्न प्रकार से अधिसूचित करता हूं:—

विकास खण्ड कल्पा

क्र0 सं0	ग्राम पंचायत का नाम	पद का नाम	निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) न0 तथा नाम	निर्वाचित व्यक्ति का नाम व पता	टिप्पणी
1	पोवारी	सदस्य	वार्ड न0—2 तंगलिंग—	श्रीमति रेणु कुमारी पत्नी श्री मुनी लाल गांव तंगलिग,डा0 शौंगतोग,तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0प्र0।	निर्विरोध निर्वाचित
2	दूनी	सदस्य	वार्ड न0—2 देशोसांरिग—2	श्रीमति बीना कुमारी पुत्री श्री तंजिन दोर्जे गांव व डा0 दूनी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर,हि0प्र0।	—यथोपरि—

विकास खण्ड निचार

क्र0 सं0	पंचायत समिति का नाम	पद का नाम	निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) न0 तथा नाम	निर्वाचित व्यक्ति का नाम व पता	टिप्पणी
1	पं0 स0 निचार	सदस्य	चगांव (वार्ड) न0—6	श्री बुध रत्न पुत्र श्री अमर सिंह गांव व डाकघर चगांव तहसील निचार, जिला किन्नोर, हि0 प्र0।	सविरोध निर्वाचित
			उरनी (वार्ड) न0—7	श्री रुप सिंह पुत्र श्री भद्र सुख गांव व डाकघर उरनी तहसील निचार, जिला किन्नोर, हि0 प्र0।	—यथोपरि—
			मीरु (वार्ड) न0—8	श्री गोकल सिंह पुत्र स्व0 श्री धर्म सेन गांव व डाकघर मीरु तहसील निचार, जिला किन्नोर, हि0 प्र0।	—यथोपरि—

विकास खण्ड निचार

क्र0 सं0	ग्राम पंचायत का नाम	प्रधान का नाम व पता	उप–प्रधान का नाम व पता	निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) न0 तथा नाम	निर्वाचित सदस्य पंच का नाम व पता	टिप्पणी
1	**चगांव**	श्रीमति कान्ता देवी पत्नी श्री योग राज गांव व डाकघर चगांव, तहसील निचार, जिला किन्नौर हि0प्र0	विनय कुमार पुत्र श्री उदम सुख गांव व डाकघर चगांव, तहसील निचार, जिला किन्नौर हि0प्र0 ।	1 रागमें	कुमारी राम देवी पुत्री श्री हुक्कम सिंह गांव व डाकघर चगांव, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हि0प्र0 ।	सविरोध निर्वाचित
				2 धर्मालिंग –1	श्रीमति श्याम देवी पत्नी श्री सुख राम गांव व डाकघर चगांव, तहसील निचार, जिला किन्नौर हि0प्र0 ।	निर्विरोध निर्वाचित
				3 धर्मालिंग –2	श्रीमति गंगा देवी पत्नी श्री करतार सिंह गांव व डाकघर चगांव, तहसील निचार, जिला किन्नौर हि0प्र0 ।	–यथोपरि–
				4 धर्मालिंग –3	श्री माल चन्द पुत्र श्री चुरकुवा गांव व डाकघर चगाव, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हि0प्र0 ।	सविरोध निर्वाचित
				5 धर्मालिंग –4	श्री ज्ञान सागर पुत्र श्री कम्ला सुख गांव व डाकघर चगांव, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हि0प्र0 ।	–यथोपरि–
				6 टापरी	श्रीमति यशोदा देवी पत्नी श्री श्याम लाल गांव व डाकघर चगाव, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हि0प्र0 ।	–यथोपरि–

				7 याषंग	श्री धन भगत पुत्र श्री पदम देव गांव व डाकघर चगांव, तहसील निचार, जिला किन्नौर हि0प्र0 ।	निर्विरोध निर्वाचित
2	**उरनी**	सुनील कुमार पुत्र श्री बलबहादुर सिंह ग्राम व डाकघर उरनी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हि0प्र0	सनम ज्ञाछो पुत्र श्री मीग्यूर छेरिंग ग्राम व डाकघर उरनी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हि0प्र0।	1 रलसथंग	श्री जगदेव सिंह पुत्र श्री राम केदार गांव व डाकघर उरनी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हि0प्र0 ।	निर्विरोध निर्वाचित
				2 उरनी खास	श्रीमति देव सरणी पत्नी पूर्ण चन्द गांव व डाकघर उरनी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हि0प्र0 ।	–यथोपरि–
				3 कुटानों	श्रीमति भाग देवी पत्नी तारा चन्द गांव व डाकघर उरनी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हि0प्र0 ।	–यथोपरि–
				4 बाटिसोमंग	श्रीमति चन्द्रा पत्नी राधा कृष्ण गांव व डाकघर उरनी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हि0प्र0 ।	–यथोपरि–
				5 थूसारिंग	श्रीमति निमा जाङमों पत्नी देवा चन्द गांव व डाकघर उरनी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हि0प्र0 ।	–यथोपरि–
3	**मीरु**	श्री कुलवन्त सिंह पुत्र श्री जयपाल सिंह गांव व डाकघर मीरु, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हि0प्र0	सनम ज्ञाछो पुत्र श्री मिला राम गांव व डाकघर मीरू, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हि0प्र0	1 घुमारुनिंग	श्रीमति विद्या देवी पत्नी श्री वीर चन्द गांव व डाकघर मीरू, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हि0प्र0 ।	सविरोध निर्वाचित

				2 मीरु खास (1)	श्रीमति सत्यवती पत्नी तिलक राज गांव व डाकघर मीरू, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हि0प्र0 ।	निर्विरोध निर्वाचित
				3 मीरु खास (2)	श्रीमति सनम लाडोन पत्नी चन्द्र षेखर गांव व डाकघर मीरू, तहसील निचार, जिला किन्नौर हि0प्र0 ।	—यथोपरि—
				4 मीरु खास (3)	श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री प्रकाष चन्द गांव व डाकघर मीरू, तहसील निचार, जिला किन्नौर हि0प्र0 ।	सविरोध निर्वाचित
				5 चौलिंग रंगलै	श्री राजीव कुमार पुत्र श्री मुनी लाल गांव व डाकघर मीरू, तहसील निचार, जिला किन्नौर हि0प्र0 ।	—यथोपरि—
4	**युला**	श्रीमति सुशीला देवी पत्नी श्री ज्वलाबर सिंह गांव युला, डाकघर मीरु तहसील निचार, जिला किन्नौर, हि0प्र0	शमशेर सिंह पुत्र श्री तन्जिन छोपेल गांव रूनाग, डाकघर मीरू, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हि0प्र0।	1 षालिंगगदो	श्री हुक्कम चन्द पुत्र श्री भादरूवा गांव व डाकघर युला, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हि0प्र0 ।	सविरोध निर्वाचित
				2 बरबरंग	श्रीमति राजन देवी पत्नी कृष्ण गोपाल गांव व डाकघर युला तहसील निचार, जिला किन्नौर, हि0प्र0 ।	निर्विरोध निर्वाचित
				3 कारियो ब्रेगो	श्री भजन सिंह पुत्र श्री काली सुख गांव व डाकघर युला, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हि0प्र0 ।	सविरोध निर्वाचित
				4 युसारिंग	श्रीमति शकुन्तला देवी पत्नी श्री विरेन्द्र कुमार गांव व डाकघर युला, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हि0प्र0 ।	—यथोपरि—

				5 रुनंग	श्रीमति राजन देवी पत्नी हिरा लाल गांव रुनाग डाकघर मीरु तहसील निचार, जिला किन्नौर,हि0प्र0 ।	निर्विरोध निर्वाचित
5	**पूनंग**			2 पूनंग–3	श्री विकास नेगी पुत्र श्री प्रताप सिंह गांव पूनंग डाकघर टापरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हि0प्र0	–यथोपरि–

उपायुक्त
जिला किन्नौर, हि0 प्र0।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला—5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित